कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री लेखराज,व्या0 इतिहास ने दिनांक 29.07.2017 को प्राध्यापक इतिहास के पद पर राउमावि बनौड़ा–झालरा जिला उदयपुर में कार्यग्रहण किया। दिनांक 29.11.2017 द्वारा श्री लेखराज प्रतिनियुक्ति पर एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल मल्लाण–अलवर में कार्यग्रहण हेतु राउमावि बनौड़ा–झालरा जिला उदयपुर से कार्यमुक्त हुए। एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल मल्लाण–अलवर में प्रधानाध्यापक का पद समाप्त हो जाने तथा प्रधानाचार्य का पद सृजित होने पर श्री लेखराज को माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर आदेशो की प्रतीक्षा में लगाने पर दिनांक 02.08.18 को कार्यग्रहण किया। तत्पश्चात श्री लेखराज का पदस्थापन आदेश क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–2/वाणि0–इति0/एपीओ/पदस्थापन दिनांक 07.8.2018 द्वारा वल्लभनगर–भीण्डर–उदयपुर किया गया। अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध भी लेखराज ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3316/2018 दायर की। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कहा कि उसकी प्रतिनियुक्ति 01 वर्ष के लिए की गयी थी परन्तु उससे पूर्व उसे स्थानान्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी का पुत्र विमंदित है अतः उसकी पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए उसका पदस्थापन अलवर जिलें में किया जाए। माननीय अपील अधिकरण ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अपार्थीगण को अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिया। अतः अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन, मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि अपीलार्थी श्री लेखराज व्या0 इतिहास जो इस कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, का पदस्थापन राउमावि वल्लभनगर–भीण्डर–उदयपुर किया गया। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है, अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन/स्थानान्तरण विभागीय आवश्यकतानुसार राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरीयता है। इस प्रकार अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 3316/2018/लेखराज/ दिनांक–26.10.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
4. संबंधित कार्मिक
5. निजी/रक्षित पत्रावली

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर